सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-14 बुधवार, दिनांक-10 मार्च, 2021 ई० ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.16 बजे अपराह्न तक ।

[1] अन्य चर्चा :-

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि अभी प्रश्नकाल का समय है जिसमें सभी माननीय सदस्यों के 261 प्रश्न सूचीबद्ध हैं, अगर यह सभा पटल पर नहीं आया तो सभी माननीय सदस्य वंचित रह जाएंगे । साथ ही अनुरोध किया कि अपने विषय को कार्य स्थगन के समय में उठाएंगे तो आसन मौका देगा ।

किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी मांगों पर सरकार से वक्तव्य की मांग कर रहे थे ।

तत्पश्चात् आसन द्वारा अनुरोध किया गया कि सभी विपक्ष के माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं तभी उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा ।

तदोपरांत विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए ।

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम एवं श्री अजय कुमार द्वारा खगड़िया जिला में विद्यालय की दीवार गिरने से हुई मृत्यु पर सरकार से वक्तव्य एवं मुआवजे की मांग की गई ।

माननीय सदस्य श्री कुमार सर्वजीत, श्री अजीत शर्मा, श्री राम रतन सिंह, श्री अख्तरूल ईमान, श्री ललित कुमार यादव, श्री भाई वीरेन्द्र एवं श्री सिद्धार्थ सौरव द्वारा राज्य में शराब कारोबार में पुलिस पदाधिकारियों की संलिप्ता पर सरकार से वक्तव्य की मांग की गई ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि सदन के सभी माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत हैं कि शराब बंदी कानून राज्य में सख्ती से लागू हो और इसके लिए सभी संवेदनशील भी हैं । सरकार इसका स्वागत करती है एवं सदन को आश्वस्त करना चाहती है कि शराब बंदी कानून राज्य में सख्ती से लागू है और रहेगा ।

माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मनेर थाना अन्तर्गत शराब की बिक्री हो रही है ।

आसन द्वारा संबंधित माननीय मंत्री को इसका संज्ञान लेने का निदेश दिया गया । साथ ही कहा गया कि सभी दलीय नेता एवं सरकार सहमत होगी तो अलग से नियमानुसार इस विषय पर विमर्श कराया जा सकता है ।

[2] **प्रश्नकाल :-**

(i) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 20 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(iii) 225 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] **कार्य स्थगन प्रस्ताव :-**

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री अरूण सिंह, श्री अजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री महा नंद सिंह, श्री मनोज मंजिल एवं श्री अजीत कुमार सिंह से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

[4] **शून्यकाल :-**

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i) श्री ललित नारायण मंडल
(ii) श्रीमती भागीरथी देवी
(iii) श्री मिथिलेश कुमार
(iv) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(v) श्री जय प्रकाश यादव
(vi) श्री पवन कुमार जायसवाल

माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल की शून्यकाल की सूचना के संक्षिप्त होने के कारण आसन द्वारा धन्यवाद दिया गया ।

इस दौरान सरकार के वक्तव्य से असंतुष्ट होकर विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोर-गुल करते हुए पुन: वेल में आ गए ।

आसन द्वारा बार-बार विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें एवं शून्यकाल तथा ध्यानाकर्षण के तहत सूचीबद्ध विषय को होने दें ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.01 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

राज्य में शराबबंदी कानून के अनुपालन के संबंध में विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार से वक्तव्य की मांग को लेकर अपने अपने स्थान पर खड़े होकर शोर-गुल करने लगे ।

आसन द्वारा कहा गया कि इस विषय पर सभी दलीय नेताओं के साथ दिनांक-15 मार्च, 2021(सोमवार) के 10.00 बजे पूर्वाह्न में बैठक मेरे कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी है । साथ ही माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि वित्तीय कार्य को चलने दें ।

तत्पश्चात् सदन में शान्ति कायम हुई ।

[5] **वित्तीय कार्य :-**

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-08 (पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री नितिन नवीन द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आँय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से पथ निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री कुमार सर्वजीत
(ii) श्री संजय सरावगी
(iii) श्री राम विशुन सिंह
(iv) श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय
(v) श्री विजय कुमार मण्डल
(vi) श्री आनंद शंकर सिंह
(vii) श्री प्रणव कुमार
(माननीय अध्यासी सदस्य श्री प्रेम कुमार द्वारा आसन ग्रहण किया गया)
(viii) श्री राहुल तिवारी
(ix) श्री मनोज मंजिल
(x) श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी
(xi) श्री अखतरूल ईमान
(xii) श्री राजू कुमार सिंह
(xiii) श्री अजय कुमार
(xiv) श्री सूर्यकान्त पासवान
(xv) श्री सिद्धार्थ सौरव
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)
(xvi) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल

तदुपरान्त माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा विभाग से संबंधित जानकारी से सदन को अवगत कराया गया ।

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, श्री नितिन नवीन द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

[6] निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 52 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक शनिवार, दिनांक-13 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-10.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।